(Conservation) Act, 1980 for providing amenities to the pilgrims of Sabarimala Temple in district Pathanamthitta. The proposed area forms part of Periyar Tigre Reserve. The site inspection of the forest area involved has been carried out by a team comprising officials of Central Government as well as State Government. After examination of the report of the above said team, it has been observed that the Committee on Environment (1993-95) of the IX Kerala Legislative Assembly is also seized of the matter. This Ministry has, therefore, asked the State Government to send a copy of the report of the above said Committee on Environment and also to inform the action that the State Government proposes to take on its various recommendations. The comments of the State Government on the report of the Central Team have also been solicited. Under these above circumstances a final decision cannot be taken at the moment.

गुजरात में तेल भंडार

288. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में अब तक किन-किन स्थानों पर तेल के भंडार का पता चला है और उनमें तेल और प्राकृतिक गैस की कितनी मात्रा उपलब्ध है;

(ख) इनमें से प्रति माह औसतन कितनी मात्रा में तेल निकाला जाता है और अब तक कितनी मात्रा में तेल निकाला गया है;

(ग) क्या सौराष्ट्र क्षेत्र के जामनगर जिले में तेल और प्राकृतिक गैस के विपुल भंडार का पता चला है;

(घ) क्या कुछ विदेशी तथा भारतीय निजी कम्पनियों ने तेल और प्राकृतिक गैस निकालने के कार्य में अपनी रूचि दर्शाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): गुजरात राज्य में अन्वेषण प्रयासों के परिणामस्वरूप 78 तेल तथा/अथवा गैस के संभावना क्षेत्रों का पता चला है जिसके परिणामस्वरूप तेल तथा गैस के समतुल्य तेल (ओ+ ओ ई जी) की 1108.94 एम एम टी मात्रा के आरंभिक स्थानीय भंडार सिद्ध हुए हैं। इन हाइड्रोकार्बन संभावना वाले क्षेत्रों की सूची संलग्न विवरण में दी है। **(नीचे देखिए)**।

(ख) 1 अप्रैल, 1995 से 31 अक्तूबर, 1995 तक की अवधि के दौरान प्रति माह औसत उत्पादन लगभग 529,900 टन था। गुजरात राज्य में 31 मार्च, 1995 तक संचयी क्रूड आयल उत्पादन (कन्डेन्सेट सहित) 127.61 एम एम टी था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) चौथे दौर की बोली के अंतर्गत भारत सरकार ने गुजरात कच्छ तटीय बेसिन में ब्लाक जी के-ओ एन-90/2 में तेल और गैस के अन्वेषण के लिए मैसर्स पैन इनर्जी रीसोर्सेज, यू एसए, स्टर्लिंग रीसोर्सेज, आस्ट्रेलिया, ओकलैंड आयल कंपनी, यू०एस०ए०, पैन पेसफिक पेट्रोलियम एन एल, आस्ट्रेलिया और ट्रांस एशिया कन्सल्टेंस इंडिया को ठेका दिए जाने का अनुमोदन किया है। ठेके पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।

पांचवें दौर की बोली के अन्तर्गत भारत सरकार ने ब्लाक जी के-ओ एस/5 में तेल और गैस के अन्वेषण के लिए मैसर्स रैक्सवुड-ओकलैंड कारपोरेशन, यू एस ए को ठेका दिए जाने का अनुमोदन किया है। ठेके पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।

छठे दौर की बोली के अन्तर्गत भारत सरकार ने तटीय ब्लाक सी बी-ओ एन/2 के लिए मैसर्स सैम्सन इन्टरनैशनल लिमिटेड, यू एस ए, एच ओ ई सी बौड़दा और जी एस पी सी अहमदाबाद के परिसंघ को, तटीय ब्लाक सी बी-ओ एन/7 के लिए सैम्सन इन्टरनैशनल लिमिटेड, यू एस ए को तथा अपतटीय ब्लाक सी बी-ओ एस/1 के लिए वाल्को एनर्जी इंक, यू एस ए, टाटा पेट्राडाइन (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली और एच ओ ई सी बड़ौदा के परिसंघ को ठेका दिए जाने को अनुमोदन दिया है।

सातवें दौर के अन्तर्गत कैम्बे अपतट में 5 ब्लाकों (सी बी—ओ एन/1, सी बी-ओ एन/3, सी बी-ओ एन/4, सी बी-ओ एन/5, सी बी-ओ एन/6) के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं। ये बोलियां सरकार के विचाराधीन हैं।

संयुक्त उद्यम अन्वेषण कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात कच्छ अपतटीय क्षेत्र में जी के-ओ एस जे-1 और जी

के-ओ एस जे-3 नामक दो ब्लाकों के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं। इनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने क्षेत्रों के विकास के पहले दौर के अंतर्गत गुजरात में छोटे आकार के 12 क्षेत्रों के विकास के लिए ठेकों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

कम्पनी का नाम	क्षेत्र
जी एस पी सी एल, अहमदाबाद	हजीरा, कम्बे, भांदुत,
निको रिसोर्सेज, कनाडा	मातर और साबरमती
सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलाजी लिमिटेड, नई दिल्ली	इन्दरोरा, बकरोल और लोहार
लार्सन एण्ड टूब्रो, बंबई	ढोलका, वेवल
जोशी टेक्नालाजीस, यू एस ए	
इंटरलिंक पेट्रोलियम लिमिटेड, बड़ौदा	बाओला
एच ओ ई सी, बड़ौदा-जी एस पी सी, अहमदाबाद	असजोल
पेट्रोडाइन इंक, यू एस ए	

क्षेत्रों के विकास के लिए दूसरी प्रस्ताव के अंतर्गत ओगनाज, उत्तरी बलोल, कनावरा, अलोरा, उनावा, संगनपुर, ढोलासन नामक छोटे आकार के क्षेत्रों और अंकलेश्वर वसना, नवाधाम और दक्षिणी कडी नामक मध्यम आकार के क्षेत्रों के विकास के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं। इनके संबंध में प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

1. कैम्बे
2. अंकलेश्वर
3. कलोल
4. वेवल
5. सनंद
6. ओलपाड
7. कोसांबा
8. नवागाम
9. कथाना
10. बकरोल
11. ढोलका
12. अलोरा
13. उत्तरी कडी
14. जंबूसर
15. अहमदाबाद
16. दक्षिण कडी
17. सोभासन
18. हजीरा
19. वासना
20. बलोल
21. डबका
22. कनावरा
23. बाओला
24. संथाल
25. इंदोरा
26. लनवा
27. उत्तरी बलोल
28. लिंच
29. असजोल
30. मोटवान
31. सिसवा
32. उत्तरी कथाना
33. नंदासन
34. पश्चिमी सोभासन
35. दक्षिणी सोभासन
36. झलोरा
37. भांदुत
38. पडरा
39. जोटना
40. सिसोदरा
41. बिराज
42. मातर
43. बजेरा
44. पश्चिमी मोटवान
45. अहकाज
46. माही हाई
47. दहेज
48. लोहार
49. लंघनाज
50. कुदारा
51. मेवाड
52. ओगनाज
53. मोधेरा
54. बामिज
55. संगनपुर
56. वाडु-पेलियाड
57. दक्षिणी मेवाड़
58. ढोलासन (दक्षिणी)

59. दक्षिणी विराज
60. गांधार
61. लिंबोदरा
62. करजीसन
63. पखाजन
64. दक्षिणी मालपुर
65. बचराजी
66. इलाव
67. पश्चिमी उनवा
68. मोटरा
69. नडा
70. मंसा
71. पश्चिमी बेचराजी
72. अंदादा
73. द०प०पाटन
74. पलेज
75. नांदेज
76. किम
77. खंबेल
78. हलीसा

Granting FPO licences to Pepsi Co. India Holdings

289. SHRI MISA R. GANESAN: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to refer to the answer to Starred Question 286 given in the Rajya Sabha on 23rd August, 1995 and state:

(a) the names of the 7 soft drink bottling plants for M/s Pepsi Co. India Holdings have been granted licences;

(b) the names and direct share holding of each share-holder, including Pepsi Co. India Holdings in each of the 7 soft drink bottling plants;

(c) on which dates each of the 7 FPO licences were granted to M/s Pepsi Co. India Holdings by the Ministry;

(d) whether the details of share holding information was made available prior to the grant of FPO licences; and

(e) if so, the dates on which the share holding information of the 7 soft drink bottling plants was made available to the Ministry of Food Processing Industries?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI K.P. SINGH DEO): (a) to (e) There is no provision under FPO requiring submission of the details of share holding information for grant of a licence. However, after obtaining no objections from the previous licencees, Pepsico India Holdings was granted FPO Licences for these Seven bottling plants on various dates as per details given in the Statement.

Statement

S.No.	Name of the bottler	Date of issue of licence
1.	M/s Pepsico India Holdings, Taluk Changai, MGR District, (Near Madras).	1.6.1994
2.	M/s Pepsico India Holdings, Bangalore.	27.6.1994